भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
21.12.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2393 का उत्तर

यात्रा नियमों में परिवर्तन

2393. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने यात्रा नियमों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सभी चल टिकट परीक्षकों (टीटीई) को पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें प्रदान की जाएंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यात्री रेल यात्रा के दौरान डेबिट/क्रेडिट कार्डों के माध्यम से कोई भी भुगतान करने के साथ-साथ टिकट भी ले सकते हैं और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

यात्रा नियमों में परिवर्तन के संबंध में दिनांक 21.12.2022 को लोक सभा में श्री बी. मणिक्कम टैगोर के अतारांकित प्रश्न संख्या 2393 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): रेल अधिनियम, 1989 की धारा 55 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति यात्रा करने के उद्देश्य से रेल के किसी भी परिवहन माध्यम में प्रवेश नहीं करेगा अथवा उपस्थित नहीं रहेगा, बशर्ते उसके पास कोई उचित पास अथवा टिकट अथवा इस प्रकार की यात्रा के लिए इसकी ओर से किसी रेल सेवक की अनुमति प्राप्त की हो। इस प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया है।

(ग): क्षेत्रीय रेलों को प्वॉइंट ऑफ सेल मशीनों की आवश्यकता का वास्तविक आंकलन करने और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर टिकट जांच अधिकारियों को उतनी संख्या में मशीनें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

(घ): अधिक किराया और अधिक प्रभार वसूलने के लिए गाड़ियों में टिकट जांच कार्मिकों द्वारा अधिक किराया टिकटों को जारी किया जाता है, जिसे प्वॉइंट ऑफ सेल मशीनों का उपयोग करके यात्री द्वारा क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

*****